न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी कमर चौधरी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 47/17 प्रार्थना पत्र

1. श्री लोगर लाल पिता स्व. श्री हीरा जी डांगी निवासी शोभागपुरा तहसील बडगांव जिला उदयपुर (राज0)।
2. श्री भीमराज पिता स्व. श्री हीरा जी डांगी निवासी शोभागपुरा तहसील बडगांव जिला उदयपुर (राज0)।
3. श्री मोहन लाल पिता स्व. श्री हीरा जी डांगी निवासी शोभागपुरा तहसील बडगांव जिला उदयपुर (राज0)।
4. श्री केसुलाल पिता स्व. श्री मगना जी डांगी निवासी शोभागपुरा तहसील बडगांव जिला उदयपुर (राज0)।
5. श्री लच्छा पिता देवा जी डांगी निवासी शोभागपुरा तहसील बडगांव जिला उदयपुर (राज0)।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री पन्नलाल पिता श्री भेरूलाल जी डांगी निवासी शोभागपुरा तहसील बडगांव जिला उदयपुर (राज0)।
2. श्री गोपीलाल पिता श्री भागचन्द जी डांगी निवासी शोभागपुरा तहसील बडगांव जिला उदयपुर (राज0)।
3. श्री गिरधारी लाल पिता श्री देवीलाल जी डांगी निवासी शोभागपुरा तहसील बडगांव जिला उदयपुर (राज0)।
4. श्री किशन लाल पिता श्री भागचन्द जी डांगी निवासी शोभागपुरा तहसील बडगांव जिला उदयपुर (राज0)।

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् विपक्षीगण की भुमि में से रास्ता प्रदान कराये जाने हेतु

श्री आलोक जैन अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
श्री मन्नाराम डांगी अधिवक्ता विपक्षी 1 से 4 उपस्थित

निर्णय

दिनांक :

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बाबत रास्ता प्रस्तुत किया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी करायी गयी। विपक्षीगणों द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब में दर्शाया गया कि विपक्षीगण की आ.न. 265 में आने जाने का एक मात्र रास्ता प्रार्थीगण के आ.न. 280 से आपसी सहमति से लिया गया 11 फीट चौडा रास्ता ही है। वर्णित 100 फीट का उपयोग नहीं कर सकते क्योकि ये रोड विपक्षीगण के आवास एवं कृषि भुमि के विपरित दिशा से काफी दूरी पर स्थित है। जिसका उपयोग रास्ते के रूप में आ.न. 265 में जाने के लिए नहीं किया जा सकता है। विपक्षीगणों ने प्रार्थी के खातेदारी आन. न. 276 पर आपसी रजामन्दी से कायम किये रास्ते में जाने से प्रार्थीगण को कभी नहीं रोका गया। प्रार्थीगणों द्वारा विपक्षीगणों पर झुठा आरोप लगाया है किसी प्रकार से रास्ते की भुमि में जाने के लिए व्यवधान पैदा नहीं किया गया है।

प्रार्थी की खातेदारी आ.न. 280 में आपसी सहमति से कायम रास्ते को कानूनी रूप से उनका 11 फीट चौडा रास्ता आ.न. 280 में पूर्व दिशा की तरफ उत्तर से दक्षिण आराजी न.

265 में जाने का कायम कराने के अधिकारी है जो न्यायहित में जरूरी है वरना विपक्षीगण अपने खातेदारी आ. न. 265 के उपयोग उपभोग से वंचित हो जोयेंगे।

इसी तरह बिन्दु संख्या 5 का जवाब भी यह है कि आ.न. 276 को विपक्षीगण के खातेदारी की भुमि में उसके पश्चिम की तरफ सवा ग्यारह फीट चौडा रास्ता, उत्तर से दक्षिण प्रार्थीगण के खातेदारी की आ.न. 275, 280 व 267 मे जाने के लिए आपसी इकरारनामा दिनांक 1.3.2000 से प्रार्थीगणों को दिया गया। उसके मुकाबले मे विपक्षीगणों को प्रार्थीगण की खातेदारी की आ.न. 280 मे पूर्व दिशा की तरफ उत्तर से दक्षिण ग्यारह फीट चौडा रास्ता विपक्षीगणो के खातेदारी की आ.न. 265 मे जाने के लिए दिया गया है। बिन्दु संख्या 6 के अनुसार रास्ते बाबत इकरार 1.3.2000 से सहमत है।

बिन्दु संख्या 7 गलत होने से अस्वीकार है क्योकि वर्णित रास्ता आ.न. 276 के बारे में विपक्षीगण का प्रार्थीगणों से कोई विवाद नहीं है न ही भविष्य में करेंगे। जो घटना 30.6.17 की बतायी है वह गलत है वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगणों के मकानों की ओर जो रास्ता जा रहा है उस पर पंचायत द्वारा सी. सी. रोड बनाने के बारे में झगडा व विरोध किया कि सदीप से प्राकृतिक ढलान की ओर दक्षिण दिशा में बरसाती पनी व नालियों का पानी जो बहता है उसक बहाव को प्रार्थीगण बदलकर विपक्षीगणों के नये मकानों क ओर डालने के लिए आमदा है जिसका समाधान तहसीलदार व सरपंच द्वारा किया गया ।

विपक्षीगाणों ने काउन्टर प्रा.पत्र भी प्रस्तुत किया उसमें भी यही बात दोहरायी है कि दिनांक 1.3.2000 को दोनो पक्षकारो द्वारा एवं उनके पूर्वाधिकारीयों द्वारा पंचो की उपस्थिति में रास्ते बाबत जो इकरार किया उस पर विपक्षीगण सहमत है। प्रार्थीगणों द्वारा भी प्रार्थना पत्र में यही दर्शाया कि मौजा शोभागपुरा की आराजी नम्बर 276 के पष्चिम दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण 11.25 (सवा ग्यारह) फीट चौडा 55 फीट लम्बा रास्ता जो मौके पर बना हुआ है को प्रार्थीगण को प्रदान कराया जावे व विधीक मूल्य न्यायालय के आदेशनुसार प्रार्थीगण से विपक्षीगण को दिलवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दोनों पक्षों के अधिवक्ता पूर्व से जारी सहमति अनुसार आने जाने हेतु कायम रास्ते पर सहमत है। काउन्टर प्रार्थना पत्र अनुसार भी विपक्षीगण व प्रर्थीगण सहमत है। कुल मिलाकर खातेदारी भुमि प्रार्थी के आ.न. 280 मे से विपक्षीगण जाते आते है एवं विपक्षीगण की आ.न. 276 में से प्रार्थीगण जाते आते है। दोनो आ.न. मे से रास्ते की जो भूमि उपयोग में ली जा रही है उसका रकबा भी एक समान है।

अतः न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रार्थीगण व विपक्षीगणो द्वारा उपयोग में लिये जा रहे रास्ते की प्रार्थी की आ.न. 280 मे से विपक्षीगण पूर्व की भांति जाते आते रहेंगे इसी तरह विपक्षीगण की आ.न. 276 मे से प्रार्थीगण पूर्व की भांति रास्ते के रूप में उपयोग करेंगे। दोनो रास्ते वाली भुमि का रकबा समान होने से कोई विवाद नहीं है परन्तु रास्ता सहमति से है रेकर्ड मे नहीं है इसलिए तहसीलदार बडगांव को निर्देश दिये जाते है कि राजस्व रेकर्ड मे आ. न. 280 एवं 276 मे सवा ग्यारह फीट चौडा एवं प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की खातेदारी भुमि में जाने हेतु जितनी भी लम्बाई हो उतना रकबा रास्ते के रूप में दोनो पक्षों की उपस्थिति में मौका पर्चा बनाकर रेकर्ड में दर्ज करे। दोनों पक्षों के पक्षकार भी पूर्व में हुए इकरार समझोते पर कायम रहे। अन्य किसी प्रकार से नया विवाद न करे एवं एक दूसरे को कायम रास्ते में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे। प्राथीगण का प्रार्थना पत्र सहमति अनुसार स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण शुमारफैसल होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

कमर चौधरी
(आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर